न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 18/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/27

जीतराम पुत्र मुखत्यारराम जाति मेघवाल साकिन पतली तहसील सादुलशहर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं कि आवेदक के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.09.2021 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। अपीलार्थी को समयावधि में सही व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया हैं।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से टिप्पणी प्राप्त की गयी। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/आरटीआई/74 दिनांक 30.01.2024 के अनुसार प्रार्थी के आवेदन दिनांक 13.09.2021 प्राप्ति दिनांक 17.09.2021 में प्रार्थी को वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 9140 दिनांक 10.11.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन आवेदक खारिज करते हुए अपीलार्थी को सूचना दी गयी हैं कि "बिन्दू सं. 1 द्वारा वांछित सूचना से सबंधित पूर्ण विवरण यथा मि.नं. निर्णय दिनांक, अनवान, संबंधित न्यायालय का नाम आदि नहीं दिया गया है। अतः पूर्ण विवरण के अभाव में पत्रावली तलाश की जानी संभव नहीं हैं। बिन्दू सं. 2 में वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रवृति की होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय नहीं हैं।"

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को आवेदन पत्र खारिज करते हुए दिनांक 10.11.2021 को सूचना प्रेषित कर दी थी। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी आवेदक के द्वारा लोक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा जिस पत्रावली की नकल चाही हैं उसका पूर्ण विवरण अपने आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया हैं तथा प्रश्नात्मक रूप में सूचना चाही हैं। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने तथा पूर्ण विवरण अंकित नहीं करने के आधार पर खारिज किया गया हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं। न्यायालय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित किये गये विनिश्चय से सहमत हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिवस में आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान हैं, लेकिन प्रकरण में सूचना आवेदक को निश्चित समयावधि में प्रदान नहीं की गयी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों को निश्चित समयावधि में निस्तारित ... सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:23 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
IAS
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)